

प्रेस विज्ञप्ति

थाना-पवई

05 किलो नाजायज गाँजा के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 23.08.20 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अवैध शराब व अवैध मादक पदार्थों की बरामदगी व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल निर्देशन में थानाध्यक्ष संजय कुमार व उ०नि० सुनील कुमार सरोज मय हमराहियान के मुखविर खास की सूचना मिली की दो व्यक्ति मित्तपुर की तरफ से अवैध गाँजा बेचने के लिए ले जा रहे हैं इस सूचना पर पहाड़पुर तिराहे पर सघन चेकिंग के दौरान मित्तपुर की तरफ से बाइक सवार दो व्यक्ति आते दिखाई दिये जिन्हे रुकने हेतु इशारा किया गया तो बाइक मोडकर भागना चाहे की मौके पर घेर कर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति क्रमशः 1. जयहिन्द s/o रामजीत साकिन रामपुर चाड़ीडीहा थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर 2. महेन्द्र s/o फूलचन्द्र साकिन इमादपुर थाना आलापुर जनपद अम्बेडकरनगर के पास से 05 किलो नाजायज गाँजा बरामद हुआ। जिसके सम्बन्ध में अधिकार पत्र माँगा गया तो नहीं दिखा सके। अभियुक्तगणों का यह कार्य अन्तर्गत धारा 8/20 NDPS एक्ट का अपराध का बोध कराकर समय करीब 19.30 दिनांक 23.08.20 को गिरफ्तार कर बाजाफता वाकायदा हिदायत पुलिस में लिया तथा मो०सा० नं० UP78Z8720 हिरो होण्डा सी०डी० 100 एस०एस० का कागजात तलब किया गया तो दिखाने से कासिर रहे अतः वाहन उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 207 एम०वी० एक्ट में सीज कर कब्जा पुलिस में लिया गया। बरामदगी के आधार पर मु०अ०सं० 130/20 धारा 8/20 NDPS एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्तगणों का चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता: -

1. जयहिन्द s/o रामजीत साकिन रामपुर चाड़ीडीहा थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर
2. महेन्द्र s/o फूलचन्द्र साकिन इमादपुर थाना आलापुर जनपद अम्बेडकरनगर

बरामदगी

05 किलो अवैध गाँजा व एक अदद मो०सा० संख्या UP78Z8720

पंजीकृत अभियोग

(1) मु०अ०सं० 130/20 धारा 8/20 NDPS एक्ट थाना पवई जनपद आजमगढ़ गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- (1) थानाध्यक्ष संजय कुमार थाना पवई जनपद आजमगढ़
- (2) उ०नि० सुनील कुमार सरोज थाना पवई जनपद आजमगढ़
- (3) हे०का० सुरेन्द्र कुमार यादव थाना पवई जनपद आजमगढ़
- (4) का० रमेश यादव थाना पवई जनपद आजमगढ़
- (5) का० चन्द्रजीत यादव थाना पवई जनपद आजमगढ़
- (6) का० उपेन्द्र यादव थाना पवई जनपद आजमगढ़

थाना-फूलपुर

मारपीट का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

जमीन व रास्ते के विवाद को लेकर हुये मारपीट में दि० 29.5.2019 को निशा यादव द्वारा अपनी दादी रामदेई पत्नी बोधन उम्र करीब 70 वर्ष मारपीट में घायल होने से दौरान इलाज मृत्यू हो जाने पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 141/19 धारा 147,304,352,452,323,504 भादवि पंजीकृत कराया गया था।

प्र०नि० शेर सिंह तोमर मय हमराहियान द्वारा आज दिनांक 24.08.2020 को समय 6.10 बजे अभियुक्त राजेन्द्र यादव पुत्र स्व० कलपू यादव साकिन जाफरपुर जई थाना फूलपुर आजमगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 141/19 धारा 147,304,352,452,323,504 भादवि

गिरफ्तार अभियुक्त-

राजेन्द्र यादव पुत्र स्व० कलपू यादव साकिन जाफरपुर जई थाना फूलपुर आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. शेर सिंह तोमर सिंह प्र०नि० फूलपुर आजमगढ़
2. उ०नि०राम नरेश जायसवाल थाना फूलपुर , आजमगढ़

थाना जहानागंज

40 लीटर अवैध शराब के साथ एक गिरफ्तार

दिनांक 23.08.2020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के आदेश के अनुपालन में व पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्वेक्षण में वाछित वारण्टी शराब बरामदगी अभियान में अभियुक्त परभू राम पुत्र बगेश्वर राम ग्राम बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ को अभियुक्त के घर से 40 लीटर अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 182/20 धारा 60 Ex.Act-पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को जमानत मुचलका पर रिहा किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

परभू राम पुत्र बगेश्वर राम ग्राम बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज आजमगढ़

बरामदगी

40 लीटर अवैध शराब

पंजीकृत अभियोग:-

मु०अ०सं० 182/20 धारा 60 Ex.Act

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 1-उ०नि० विजय विजय नारायण त्रिपाठी
- 2-का० प्रवीण कुमार सिंह
- 3.का० संदीप वर्मा

थाना- बरदह

चोरी का एक अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 24.8.2020 को उ०नि० संजय कुमार सिंह मय हमराह का० अनुपम सिंह का० तितेन्द्र सिंह का० योगेन्द्र यादव को साथ ले कर चौकी ठेकमा से खाना हो कर देखभाल क्षेत्र जांच प्रा०पत्र जांच चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति / वाहन तथा पेण्डिंग विवेचना व लाकडाउन के मद्देनजर शान्ति व्यवस्था ड्यूटी जाँच प्रा०पत्र व देखभाल क्षेत्र में मामुर हो कर पुरसुड़ी पर मौजूद थे की जरिये मुखविर खास द्वारा सूचना मिली कि किशन सरोज पुत्र रम्मन सरोज निवासी ग्राम पुरसुड़ी थाना बरदह जिला आजमगढ़ सम्बन्धित मु०अ०सं० 198/2020 धारा 457/380/411 भदवि पुरसुड़ी मोड़ पर मौजूद है व वहा से गाडी का इन्तिजार कर रहा है। मुखविर खास कि सूचना पर पुरसुड़ी मोड़ के पास से समय करीब 12.10 बजे अभियुक्त किशन सरोज पुत्र रम्मन सरोज निवासी ग्राम पुरसुड़ी थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार कर अभियुक्त के पास से एक अदद चैन पीली धातु व 03 जोड़ा पायल सफेद धातु (06 अदद) , 600रु नगद व 01 अदद आधार कार्ड बरामद कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 198/2020 धारा 457,380,411 IPC

गिरफ्तार अभियुक्त-

किशन सरोज पुत्र रम्मन सरोज निवासी ग्राम पुरसुड़ी थाना बरदह जिला आजमगढ़

बरामदगी -

एक अदद चैन पीली धातु व 03 जोड़ा पायल सफेद धातु (06 अदद) , 600रु नगद व 01 अदद आधार कार्ड

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ०नि० संजय कुमार सिंह मय हमराह का० अनुपम सिंह का० तितेन्द्र सिंह का० योगेन्द्र यादव